अमृत वाणी

नियम के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप व्यर्थ ही होता है।

-वेदव्यास,

सही देखरेख एवं इस्तमाल भी हो

जैसा की वन विकास निगम के अध्यक्ष ने कहा हैं कि वन विकास निगम के सी एस आर मद से स्थानीय महारानी अस्पताल में अनेक सुविधाएं बढ़ाये जाने का प्रस्ताव हैं जिनके तहत एक ओर जहां नवजात शिशुओं के कक्ष को वातानुकूलित करने और विशाल ऑक्सीजन टेंक लगाकर मरीजों को ऑकसीजन सप्लाई की व्यवस्था करने कर प्रावधान हैं वही दूसरी ओर शौचालय निर्माण एवं आंतरिक साजसज्जा जैसे अस्पताल के वातावरण के सुधार का भी प्रस्ताव है।

यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि ये सारी व्यवस्थाएं अस्पताल के लिए जितनी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी मरीजो के लिए भी उतनी ही लाभकारी सिद्ध होगी, बशर्ते की अस्पताल में इन सुविधाओं की समुचित देखभाल और रखरखाव हो।

महारानी अस्पताल के साथ बिडंबना यह हैं कि एक ओर अगर वहां सुविधाओं का अभाव हैं तो दूसरी ओर जो सुविधाए हैं उनका न तो उचित उपयोग होता हैं और न रखरखाव जिसकी वजह से लाखो की वस्तुएं पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। कोई सामान है तो उसके लिए टेक्नीशियन नही है और कोई टेक्नीशयन है तो सामान नही है। सर्वाधिक समस्या तो यह है कि अस्पताल की छोटी से छोटी चीज भी अगर एक बार बिगड़ जाय तो महीनों यहां तक कि सालों तक उसके सुधार की कोई पहल नहीं की जाती चाहे वह लाइट , पंखा या कूलर जैसी कोई मामूली चीज ही क्यों न हो। हैरत की बात है कि बर्न यूनिट में मरीज जलन से तड़पते है मगर वहां की एसी सुधारने की सुध वर्षों तक कोई नहीं लेता। उसी तरह अस्पताल में कई सारे कूलर तो है पर गर्मियों में मरीज तड़पने को मजबूर रहते हैं क्योंकि अधिकतर बिगड़े पड़े है। शौचालय सफाई के अभाव में उपयोग के लायक नहीं, खिड़कियां के कांच टूटे हैं तो टूटे ही पड़े रहेंगे। दीवार छत से पानी चूता रहेगा वर्षों तक सुधार नहीं होगा।

कहने का तात्पर्य यह कि क्या इन सबका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन की उदासीनता को नहीं ठहराया जाना चाहिए। कार्यालयीन कार्यों में कुछ औपचारिकताएं जरूर होती है पर इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि उन्हें पूरी करवाने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई जाय।

अब वन विकास निगम जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, अगर उनका समुचित रख रखाव न हो तब तो उनका काम करना ही मुश्किल हो जायेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अस्पताल प्रशासन उपलब्ध सुविधाओं के रख रखाव के प्रति पर्याप्त चुस्ती बरते तभी मरीजों को उनका भरपूर लाभ मिलना संभव हो सकेगा।

राजकाज

अब पछताए होत क्या...

राजनीति के विश्लेषकों और पंडितों ने यह पहले ही कह दिया था कि यदि गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया होता तो भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीत पाती। अब उसे खुद हार्दिक ने स्वीकार किया है और कहा है कि उनकी मुलाकात कभी राहुल गांधी से हुई ही नहीं। दरअसल हार्दिक ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से अपनी मुलाकात की बात को नकारते हुए कहा है कि यदि वह राहुल से पहले मिले होते तो गुजरात में भाजपा सत्ता में नहीं आ पाती और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता। इसके साथ ही हार्दिक ने खुलासा किया है कि वो ममता बनर्जी, नीतिश कुमार और उद्धव ठाकरे से खुलेआम मिले हैं और राहुल से भी मिलने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुलाकात हुई ही नहीं। इस पर जानकारों ने कहावत में जवाब दिया कि श्अब पछताए होत क्याए जब चिड़िया चुग गई खेत।श् कुल मिलाकर हार्दिक की नींद बहुत देर बाद खुली।

घर का भेदी लंका ढाए

खबर आ रही है कि दुबई की 33 वर्षीय राजकुमारी शेख लातिफा घर से भागकर दक्षिण भारत के किसी तट पर रुकी हैं और अपने वकील के जरिए अमेरिका से शरण मांगी है। राजकुमारी लातिफा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतौम की बेटी हैं। लातिफा का कहना है कि वो एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती हैं और इसलिए वो फरार हुई हैं। आपको बतला दें कि लातिफा पहले भी भाग चुकी हैं, इसलिए उन पर सख्त निगरानी रखी जाती रही है। पिछले तीन साल से उन्हें अस्पताल में बंधक बनाकर रखा जा रहा था। चूंकि लातिफा फ्रांसीसी जासूस की मदद से फरार हुई हैं। अतः देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसे घर का भेदी लंका ढाए वाली उक्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और वापस बंधक बनाकर अस्पताल में रखा जाएगा। अब देखना यह है कि अमेरिका इस संबंध में क्या करता है, क्योंकि शरण तो उसी से मांगी गई है।

यूथेनेसिया पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति को इच्छामृत्यु का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने स्थापित कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद.21 के अंतर्गत प्राप्तष्जीवन के अधिकारष् के साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी समाहित है।न्यायालय ने कहा कि जीने की इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने नहीं देना चाहिए।यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच हुई कई वर्षों के कशमकश के बाद आया।सवाल था कि क्या उन बीमार मरीजों पर विचार किया जाए जिनकी चिकित्सा विज्ञान भी मदद नहीं कर सकता। यदि वे चाहें तो क्या मर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने शिनष्क्रिय इच्छामृत्यु पैसिव यूथेनेसिया और शिलविंग बिल को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि मरन्नासन व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि कब वह आखिरी सांस ले। उसने कहा कि कोई व्यक्ति शिलविंग बिल तैयार करके यह मांग कर सकता है कि अगर भविष्य में वह स्वस्थ्य से जुड़ी लाइलाज या मरन्नासन स्थिति में चला जाए, जिसमें तमाम आधुनिक इलाजों के बावजूद उबरना मुश्किल हो, उसको जीवनरक्षक प्रणाली से हटा दिया जाए। शीर्ष अदालत का यह फैसला कॉमन कॉज संस्था की एक याचिका पर आया है, जिसमें उसने लिविंग बिल को मान्यता दिए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। कॉमन कॉज नामक गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2005 में याचिका दायर की थी। संविधान पीठ ने 11 अक्टूबर 2017 को इस फैसला को सुरक्षित रखा था।

संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं। पीठ ने इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश भी बनाएँ हैं, जिसमें कहा गया है कि कौन इच्छा मृत्यु का निष्पादन कर सकता है और किस तरह मेडिकल बोर्ड इसमें सहमति देगा। संविधान पीठ ने कहा है कि इस मामले में कानून बनने तक फैसले में उल्लेखित दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे।

इच्छामृत्यु यूथेनेसिया के दो प्रकार हैं. पहला सक्रिय इच्छामृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा निष्क्रिय इच्छामृत्यु;पेसिव यूथेनेसियाद्ध है।इन दोनों में काफी अंतर है। किसी लाइलाज और पीड़ादायक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को निष्क्रिय रूप से इच्छा मृत्यु दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि पीड़ित व्यक्ति को जीवनरक्षक उपायों, जैसे .दवाई, डायलिसिस और वैंटिलेशन को बंद कर दिया जाए अथवा रोक दिया जाए। इसमें पीड़ित स्वयं को मृत्यु को प्राप्त होगा। दूसरी ओर एक्टिव यूथेनेसिया या सक्रिय इच्छामृत्यु वह है, जिसमें चिकित्सक पेशेवरएया कोई अन्य व्यक्ति कुछ जानबूझकर ऐसा करते हैंएजो मरीज के मरने का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक्टिव यूथेनेसिया में इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से पीड़ित को मृत्यु देना। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी है, एक्टिव की नहीं।सरल शब्दों में सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच के अंतर को मरने और हत्या के बीच अंतर के रूप में भी देखा जा सकता है।

लिविंग बिल को एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी कहते हैंएजिसमें व्यक्ति यह घोषणा करता है कि भविष्य में किसी ऐसी बीमारी से अगर वह ग्रस्त हो जाता हैएजिसमें तमाम आधुनिक इलाजों के बावजूद उसका इलाज संभव न हो तो, उसका इलाज नहीं किया जाए। आस्ट्रेलिया में एडवांस डायरेक्टिव श्का प्रावधान लागू है।न्यायालय के अनुसारए जिस अस्पताल में मरीज भर्ती हैएवहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और अगर वह बोर्ड यूथेनेसिया से सहमत होगा तो रिपोर्ट कलेक्टर को भेजेगा। कलेक्टर मुख्य जिला मेडिकल ऑफिसर की अगुवाई में मेडिकल बोर्ड का गठन कर मरीज का परीक्षण करेगा। अगर जिला मेडिकल बोर्ड भी अस्पताल से सहमति रखेगा, तो मामले को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा।अगर इस स्थिति में भी यूथेनेसिया की अनुमति नहीं मिलती हैएतो मरीज के रिश्तेदार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।फिर हाई कोर्ट तीन डॉक्टरों का पैनल गठित कर मामला का परीक्षण करवाएगा और इसके बाद फैसला लिया जाएगा।

भारत में अरुणा शानबाग इच्छामृत्यु पर बहस का सबसे बड़ी चेहरा बनी, जिनकी 42 वर्ष तक निष्क्रिय रहने के बाद मई 2015 में मृत्यु हो गई।अरूणा शानबाग मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थी।1973 में अस्पताल के ही एक सफाईकर्मी ने उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की।अरूणा द्वारा प्रतिरोध जताने के बाद उन्हें गंभीर चोटें आई। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। 2009 में अरुणा शानबाग के जीवन को समाप्त करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में सुनवाई करते हुए इच्छामृत्यु की अनुमति दी थीएलेकिन इसके संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी।ताजा फैसला सेष्मृत्यु के अधिकार को भी संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्टत शामिल कर दिया गयाएजो श्जीवन के अधिकार से संबंधित है।

ब्रिटेन समेत यूरोप के कई बड़े देश इच्छामृत्यु को आज भी हत्या मानते हैं।लेकिन नीदरलैंडए बेल्जियमए कोलंबिया और पश्चिम यूरोप के लग्जमबर्ग में इच्छा मृत्यु की अनुमति है।वर्ष 2015 में अमेरिका के कैलिफोर्निया ने भी वाशिंगटनए ओरेगनए मोंटाना और वेरमॉट राज्यों की तरह इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी।सालों चली बहस के बाद 2016 में कनाडा ने भी इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी।

नीदरलैंड में भी देखा जाता है कि मरीज की बीमारी असहनीय है कि नहीं और उसमें सुधार की संभावना हैघ्बेल्जियम का कानून भी इससे मिलता जुलता है।अमेरिका और कनाडा में मरीज के इच्छामृत्यु के लिए मदद तभी मुहैया कराई जाती हैएजब बीमारी असहनीय हो तथा इलाज संभव नहीं हो।

सवाल यह भी उठता है कि इच्छा मृत्यु की वसीयत क्या जायदाद की वसीयत की तरह होनी चाहिएएजिसमें लोग जितनी बार भी चाहे बदलाव कर सके।इसके अतिरिक्त मरीज के वसीयत के प्रमाणिकता पर भी सवाल उठ सकते हैंघ्क्या वसीयत में कोई यह भी घोषणा कर सकता है कि उसे कदापि इच्छामृत्यु नहीं चाहिएघ्भारत में जिस तरह मध्यवर्ग में बुजुर्गों को बोझ मानने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैएवैसे में इसके दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना है।ऐसे में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्ण सावधानी की आवश्यकता होगी।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय अस्पतालों में आईसीयू से अतिरिक्त दबाव के कम होने की संभावना जताई जा रही है।अंततः मरन्नासन पड़े या असहनीय दर्द झेल रहे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाभ मिलेगाएलेकिन इसके क्रियान्वयन पक्ष और नैतिक पक्ष पर बहस जारी रहेगी।

राहुल लाल
(ये लेखक के अपने विचार है)

निरंतर विजय... संस्कृति का पुनर्जागरण

सिकंदर जब विश्व विजेता बनता हुआ भारत में आया तो उसे एक साधू मिले। साधु से वार्तालाप होते होते साधु ने पूछा सिकंदर यह बताओ की यदि तुमने पूरा विश्व जीत लिया तो उसके बाद क्या करोगे घ्इस पर सिंकंदर निरुत्तर हुआ और रूककर बोला इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। साधु ने पूछा सिकंदर मानलो तुम एक रेगिस्तान में हो और तुमको बहुत प्यास लगी हैं एप्राण निकलने को हैं और मेरे पास एक लोटा पानी हैं तो तुम क्या करोगेघ् तो सिकंदर बोला में आधा राज्य आपको दे दूंगा। साधु बोला मैं जब पानी दूंगा तब ना! इस पर सिकन्दर बोला मैं पूरा राज्य सौप दूंगा तब साधु बोला सिकंदर तुम्हारे कुल राज्य की कीमत मात्र एक लोटा पानी और उसके लिए इतनी दौड़ धुप एखून खराबा। और अंत समय वह खुले हाथ गया कुछ अपने साथ नहीं ले गया। नाम रह गया।

इसी प्रकार कौरवों ने शकुनि के माध्यम से द्रोपदी को जीता उस समय दुर्योधन का समस्त शरीर रोम रोम आल्हादित हुआ कारण जीत की प्रसन्नता में रोम रोम में खुशी झलकती हैं।वैसे ही वर्तमान में मोदी जी ने अपने प्रधान मंत्रित्व के दौरान सम्पूर्ण भारत में विजय पताका फहराने में पूरी शक्ति एश्रम एचतुराई ए कौशल दिखाकर निरंतर विजयी हो रहे हैं और कहा भी जाता हैं की प्यार और युध्य में सब जायज होता हैं। इस जीत के बाद कुछ और राज्य हैं जिन्होंने उनकी अधीनता नहीं स्वीकारी हैं उनको पाना भी लक्ष्य हैं। जब तक सम्पूर्ण देश उनका नहीं होगा तब तक आराम हराम हैं। और अर्जुन जैसा लक्ष्य बना लिया हैं तो कोई कठिन नहीं हैं विजय पताका फहराना इस प्रकार की विजय से एक पार्टी एएक देशए एक व्यक्ति का शासन होगा। जिस प्रकार पहले राजशाही होती थी वैसे ही लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक राजा होगा। इससे यह फायदा होगा की अब भविष्य में कोई भी योजना लागु कराने और करने में कोई बाधा नहीं होंगी। और राजा जिस मानसिकता ए विचारधारा ए संस्कृति को धोपनाए लागु करना चाहेगा वह कर सकेगा बिना रोक टोक के। इसप्रकार राजा का यह स्वर्णिम युग माना जाएगा।

और यह होना भी चाहिए कारण जब तक व्यक्ति सपने में या जागते समय अपना लक्ष्य ना निर्धारित करे तब तक उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। ये अच्छा हैं हमें मुस्लिम शासकों जैसे गद्दी पर बैठने के लिए किसी का हक़ नहीं छीनना पड़ता हैं कारण हम प्रजातान्त्रिक ढंग से जीत कर गद्दी पर बैठते हैं। वैसे प्रशासन का एक सिद्धांत हैं की हम सबसे पहले अपने कार्यालय ए घर ए राष्ट्र को अपने नियंत्रण में करे और उसके बाद हम सत्ता का उपयोग अपनी नीति रीति के लिए करे।स्वाभाविक हैं जैसे आजकल शादी करने के बाद युवा दंपत्ति 5 वर्ष तक संतान नहीं चाहते कारण उस दौरान मौज मस्ती का रहता हैंएइसी प्रकार शासक ने भी यही लक्ष्य बनाया हैं और जैसे नव बधु ससुराल में आती हैं तो पहले अपने नाते रिश्तेदारों से मेल जोल करती हैंएव्यवहार बनाती वह उनके घर जाती हैं और उनको अपने यहाँ बुलाती हैं। ।इस प्रकार आदान प्रदान होता हैं फिर कुछ समय घर गृहस्थी में गुजारती हैं। मतलब उसे पहले पांच साल सम्बन्ध बनाने एनिभाने और गृहस्थी समझने में लगते हैं। उसके बाद गर्भवती होने पर गर्भस्थ शिशु की देखरेख और उसे बाद लालन पालन में समय देना पड़ता हैं।इसकाआशय यह हैंकि हमारे देश का विकास आगामी पांच वर्षों में शुरू होगा। अभी तो बीजा रोपण के पहले की जमीन तैयार की गयी हैं। इसका मतलब खेत एबीज पर निजत्व भाव आ गया हैं। इसके पूर्व खेत के बचाव की पूरी भूमिका कर ली गयी हैं। कोई बाहरी पशु ना आ आये तो दीवारें मजबूत बना ली हैं। बस अब खेत में बोबई करके फसल तैयार कर काटने का समय आ गया हैं।

इस क्रम में अब अपनी भावना ए विचारधारा को विकसित करने के लिए राष्ट्र के चार स्तम्भों पर अपना कब्ज़ा करना जरुरी हैं जो सत्ता के सामने बीन बजाये एजैसा सत्ताशीन चाहे वैसा वह नाचे। वर्तमान में यही स्थिति हमारे देशमे हैं और आगामी वर्षों में ये संस्थाएं विलुप्त या समाप्त या अस्तित्वहीन हो जाएँगी। वे वैसा ही बोलेंगी करेंगी जैसा सत्ताशीन चाहेंगे। आज भी बुद्धिजीवी वर्ग को वैसा ही दिखाया ए पढ़ाया ए कराया जा रहा हैं जैसा राजा या सत्ताधारी पार्टी चाहती हैं। इसमें पूरी तरह से एक निर्धारित रणनीति के तहत काम किया जा रहा हैं जिससे स्वयं सफलता कदम चूमती हैं। हम देश वासियों को आगामी चुनाव की जीत के बाद ही विकास और अच्छेदिन की गति ए प्रगति देखने मिलेंगी। जैसा युधिष्ठिर ने सभा में एक भिक्षु को कहा था की आप अगले सप्ताह अपनी भीख ले जाना तब भीम ने ज़ोर से हंसकर कहा था की धर्मराज ने यमराज को वश में कर लिया हैं यानी धर्मराज अगले सप्ताह तक जिन्दा रहेंगे !इसी प्रकार हमारे देश में विकास की गंगा अगले पंचवर्षीय काल में बहेंगी। कारण विकास में कुछ विरोधी बाधक हो रहे हैं एनिर्बाध रूप से गंगा नहीं बह पा रही हैं। जब तक पूर्ण विरोधी मुक्त देश नहीं होगा विकास असंभव हैं।

डॉ.अरविन्द जैन
(ये लेखक के अपने विचार है)

विवाह पूर्व फिल्मांकन मर्यादा के विपरीत घ्रणित कार्य

प्राचीन वैदिक संस्कृति में व्यक्ति के जीवन में सोलह पवित्र संस्कारों का उल्लेख है। इनमें एक प्रमुख वैवाहिक संस्कार है। युवक युवती के शुभ विवाह से पूर्व ग्रह नक्षत्र एवं जन्म कुण्डली के मिलान का नियम है।

हमारी भारतीय परंपरा यह रही है जन्म कुण्डली के मिलान के बाद ही रिश्ते तय होते रहे है। पाणिग्रहण संस्कार या शुभ विवाह जिसके नाम में पहले शुभ शव्द लगा है इसमें अनेक विकृतियों अथवा कुप्रथाओं का समावेश हो गया है। जिनके कारण पवित्र भारतीय संस्कृति अथवा संस्कार कलंकित हो रहे है।

वर्तमान में आयोजित होने बाले वैवाहिक कार्यक्रमों का जो स्वरूप हम देख रहे हैं उससे लगता है पवित्र मांगलिक कार्यक्रम का रूप विकृत हो गया है। मांगलिक कार्यक्रमों में बढ़रही फूहड़ता से अनेक विघ्न एवं अमंगल हो जाते है। वैवाहिक कार्यक्रमों में वैभव प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा में पैसे की बर्बादी तो होती ही हैए जिसकी हैसियत वैभवशाली शादी में जेव से पैसा लुटाने की नही है वह भी अपने प्रति द्वन्द्वी को नीचा दिखाने बाजार से उधार लेकर जोर.शोर से शादी कर रहा है।

शुभ विवाह के आयोजन में जो वैभव प्रदर्शन एवं फूहड़ता होती है वह सर्वथा स्वागत योग्य नही है। अभी तक शुभ विवाह उपरांत नवयुगल हनीमून मनाने किसी पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन पर जाकर रंगरेलियां मनाते थे। अब इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। नव युगल जिनका शुभ विवाह निकट भविष्य में होना है वे शुभ विवाह से कुछ दिन पूर्व किसी पर्यटन स्थल या ज्यादा सम्पन्न है तो विदेश जाते है। वहाँ कुछ दिन आलीशान होटल में ठहरते है। उनके पल पल की गतिविधियों का फिल्मांकन या वीडियो शूटिंग किया जाता है। इस नई नवेली रश्म का नामकरण प्री वैड़िंग शूट चतम् मककपदहें विवज दिया गया है। नवयुगल जो विवाह पूर्व रंगरेलियाँ मनाने जाते है उनकी यात्रा लगभग 7 से 10 दिन की होती है। जिस दिन अपने निवास से प्रस्थान कार या हवाई जहाज से करते है उसी क्षण से वीडियो शूटिंग प्रारंभ हो जाती है। जिस होटल में नव युगल एक ही

शूट में ठहरते है वहाँ की भी शूटिंग की जाती है। शुभ विवाह के दिन आशीर्वाद समारोह में वैवाहिक स्थल पर बड़ी बड़ी टी व्ही स्क्रीन लगा कर उक्त विवाह पूर्व फिल्मांकन या प्री वैडिंग शूट को आगन्तुक अतिथियों को प्रमुखता से दिखाया जाता है। इस कार्य को देश के धनाड्य उधोगपति सम्पन्न वर्ग द्वारा जोर शोर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

शुभ विवाह जैस मांगलिक कार्य को भूल कर आज की आधुनिक एवं पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित युवा पीढ़ी लिव एंड रिलेशनशिपए प्रेम विवाहए अन्तर्जातीय विवाह कर रही है। इन सब कार्यों से समाज का नैतिक पतन हो रहा है। जिन परिवारों में शुभ विवाह हो रहे है उनमें युवक युवती विवाह पूर्व फिल्मांकन या प्री वैडिंग शूट पर परिवार जनों की सहमति से जा रहे है। प्री वैडिंग शूट में नवयुवक के प्रेमालापए चुंबनए बैडरूम के अश्लील चित्रों का आशीर्वाद समारोह में टी व्ही की बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित कर हम समाज को क्या संदेश देना चाहते है। विवाह पूर्व नवदम्पत्ति को होटल में ठहरकर प्रेमालाप अथवा आलींगन करना उचित हैघ् दिगम्बर जैन आचार्य विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज का कहना है युवा पीढ़ी सहशिक्षा एवम् परिवार द्वारा उन्हें स्वच्छंदता देने से संस्कारविहीन और पथभ्रष्ट हो रही है। आपका कहना है युवा पीढ़ी को संस्कारविहीन बनाने के लिये अभिभावक सबसे ज्यादा दोषी है। अभिभावक अपने लड़के या लड़की को उच्च शिक्षा लेने एवं नौकरी करने उन्हें स्वच्छंद छोड़ देते है। परिवार का नियंत्रण नही होने के कारण युवा पीढ़ी निरंतर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होकर स्वंय समाज एवं देश का नैतिक पतन कर रही है।

हम मुख्य रूप से विवाह पूर्व फिल्मांकन अथवा प्री वैडिंग शूट की चर्चा कर रहे है। अभी चल रही कुप्रथाओं से यह सबसे घ्रणित एवं समाज को कलंकित करने बाली कुप्रथा अपने पैर पसार रही है। इस प्रथा का जितना विरोध किया जाये उतना अच्छा होगा। मध्यप्रदेश में माहेश्वरी समाज ने प्री वैडिंग शूट पर प्रतिबंध लगाया है। माहेश्वरी समाज का यह निर्णय स्वागत योग्य है। देश में संस्कृति की रक्षा एवं संस्कारों का हनन न हो इसलिये आवश्यक है इसको सभी समाजों को प्राथमिकता से रोकना अति आवश्यक है। विवाह पूर्व इस कार्य को किसी भी स्थिति में उचित नही कहा जा सकता। इस कुप्रथा को बंद किया ही जाना चाहिए।

विजय कुमार जैन
(ये लेखक के अपने विचार है)